न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2023 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती निर्मला कुमारी पत्नी कमलेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी बाठेडा हाउस, मकान नंबर 174, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. मयुरध्वज सिंह पिता कमलेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी बाठेडा हाउस, मकान नंबर 174, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सरोज माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती सरोज चौहान पत्नी राम किशन माली, निवासी मालियों की हथाई, बालचन्द्र पाडा, बून्दी (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर पत्रावली क्रमांक राज/भू.रू./ 2021/632–641 दिनांक 25–06–2021

———::———

उपस्थित :– 1– श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय दिनांक 28–01–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर ने अपने आदेश क्रमांक राज/आवंटन/2021/ 632–641 दिनांक 25–06–2021 से आवेदक मौसर्स सरोज माईन्स एण्ड मिनिरल्स को उनकी खातेदारी की कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन ग्राम हरियाव, ग्राम पंचायत गुपडी, तहसील वल्लभनगर की आराजी नंबर 98 रकबा रकबा 0.2200 हैक्टर में से 0.2030 हैक्टर, आराजी नंबर 102 रकबा 0.2500 हैक्टर में से 0.1500 हैक्टर, आराजी नंबर 103 रकबा 0.8600 हैक्टर में से 0.7210 हैक्टर किता 3 रकबा 1.3300 हैक्टर में से 1.0740 हैक्टर अर्थात .... वर्गमीटर भूमि औद्योगिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 04–10–2023 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के खातेदारी की होकर उसके हक हिस्से की भूमि है। प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति है, जिसे सुने बिना उक्त आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण हितबद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलान्टगण का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 अनुसार विवादित आराजी नंबर 98 रकबा 0.2200, आराजी नंबर 102 रकबा 0.2500 हैक्ट एवं आराजी नंबर 103 रकबा 0.8600 कुल किता 3 रकबा 1.3300 भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 खातेदारी भूमि बाबत् औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलान्ट किस प्रकार प्रभावित हैं, इस बाबत् उनकी ओर से अपने धारा 96 जा.दी के प्रार्थना पत्र में कोई कथन नहीं किया गया है, किन्तु अपील मीमों में यह कथन किया गया है कि संपरिवर्तित भूमि से लगती हुई प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नंबर 108 रकबा [illegible] हैक्टर स्थित है, लेकिन इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् उनकी ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि संपरितर्वत भूमि उनकी खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि हो। तद्नुसार अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:22:07 IST
Reason: SelfAttested